नय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
ा नम्बर :–29/2018 प्रार्थना पत्र
ोक कुमार पिता रामस्वरूप पारीक, उम्र बालिग निवासी एश्वर्य बी–74/2 , आर0के0कॉलोनी,
ड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ------प्रार्थी

बनाम

पन्ना पिता गोकल कीर, उम्र बालिग निवासी गुंरला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान
कानां पिता गोकल कीर, उम्र बालिग निवासी गुंरला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
भोलीराम पिता गोकल कीर, उम्र बालिग निवासी गुंरला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
गोपीलाल पिता मांगीलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–19.2.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुंरला पटवार गुंरला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1351 रकबा 4 बीघा भूमि प्रार्थी दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त राजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। रण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फ़रमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं कारण दिनांक 16.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत वीकार किया जाकर ग्राम गुंरला पटवार हल्का गुंरला भू–अभिलेख निरीक्षक गुंरला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1351 रकबा 4 बीघा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुंरला को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner